

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़  
पीठासीन अधिकारी भवानीसिंह पालावत, आर०ए०एस०  
प्रकरण सं० 32/अपील/18 तारीख दायरा 08.02.18

रमेश आ० मांगीलाल गूजर निवासी बांदरी तहसील अकलेरा  
बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार अकलेरा

अपील बनाराजी आदेश तहसीलदार अकलेरा दिनांक 29.11.17 मि०न० 2766/17

उपस्थित:- श्री अमर सिंह अभिभाषक अपीलान्त

--: निर्णय :-

दिनांक: 03.05.2018

अपीलान्त ने यह अपील जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा के निर्णय दिनांक 29.11.17 जिसके द्वारा अपीलान्त को ग्राम बांदरी तहसील अकलेरा के ख०न० 301 की 5 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 200/ रूपये अर्थदण्ड व 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से अप्रसन्न होकर पेश की है। अपील में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध संग्रहसार के विपरित होने से निरस्तनीय है—अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुने बिना व जवाबदेही, साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया उक्त आराजी पर से अपीलान्त द्वारा कब्जा छोड़ा जा चुका है—अपीलान्त द्वारा जुर्माना राशि भी जमा करा दी गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। योग्य वकील अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील मेमो की पुष्टी करते हुये आगे व्यक्त किया कि अपीलान्त द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से कब्जा हटा दिया गया है—अपीलान्त का अब राजकीय भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्त द्वारा पेनल्टी राशि जमा राज करा दी है—अपीलान्त भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.17 निरस्त किया जाकर अपीलान्त को राहत प्रदान की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर गौर किया। वकील अपीलान्त द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से कब्जा हटाने एवं भविष्य में फिर से अतिक्रमण नहीं करने बाबत आश्वस्त किया गया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार अकलेरा वकील अपीलान्त द्वारा कहे गये कथनों का सत्यापन कर लें। यदि अपीलान्त का वादग्रस्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं है तो सिविल कारावास में छूट दी जाती है, लेकिन बेदखली और शास्ति की सजा यथावत रहेगी और यदि अपीलान्त द्वारा मौके से कब्जा नहीं हटाया गया है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानीसिंह पालावत)

अति० जिला कलक्टर एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
झालावाड़  
(रि.०)